-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **छलपूर्वक एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से ठगी/चोरी के 19 हजार 500 रुपए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा ठगी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.02.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले सुनील कुमार द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 16.02.2026 को उसके साथ 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम में सहायता करने के बहाने चोरी/टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया गया। साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत मुखबिर की सूचना से अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित की गई। तथा अभियुक्त को पल्हरी नहर रोड़ बडा बाईपास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह अपने एक अन्य साथी रवि उर्फ भीमा के साथ दिनांक 16.02.2026 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ छलपूर्वक एटीएम बदलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि अभियुक्त एटीएम मशीनों के आसपास पहले से मौजूद रहकर पैसे निकालने में असमर्थ अथवा सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को अपने झांसे में लेता था। सहायता के बहाने अभियुक्त अत्यंत चतुराई से पीड़ित का एटीएम कार्ड बदल लेता था तथा बातचीत, भ्रम एवं मानसिक दबाव बनाकर उसका पिन नंबर ज्ञात कर लेता था। इसके पश्चात अभियुक्त अलग-अलग एटीएम मशीनों से पीड़ितों के खातों से धनराशि निकाल लेता था। अभियुक्त द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 19 हजार 500 रुपए बरामद किया गया है। अन्य अभियुक्त रवि उर्फ भीमा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी-

- 19500 रुपए (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमेश पुत्र हरिकेश निवासी काछा बोधराम का पुरवा थाना जठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-93/26 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. बढ़ोत्तरी धारा 317(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डीसमिति थाना कोतवाली नगर
2. कां0 अनुराग यादव
3. कां0 मनीष शुक्ला

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमेश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-785/17 धारा 419/420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-396/19 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-788/21 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0-261/22 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि व 66डी/66सी/65/72 आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।